न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. ऐक्ट, अम्बेडकरनगर

UPAN010003572023

Sessions Case/74/2023

सरकार बनाम पंकज वर्मा आदि

अपराध सं0 367/2022
धाराः—147,148,149,323,504,308,304, भा0दं0सं0
व धारा 3(1)द,ध व 3(2)va अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम
थानाः—को0 अकबरपुर, अम्बेडकरनगर

आरोप

मैं रत्नेश मणि त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, अम्बेडकरनगर एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण पंकज वर्मा, उत्तम पटेल,विकास गौड़ व भद्दू वर्मा को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँः—

1. यह कि दिनांक 25.06.2022 को समय लगभग 2 बजे बहद स्थान अम्बेडकर पार्क थाना को0 अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर के अंतर्गत आप लोगों ने एक राय होकर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरूद्ध जमाव कारित कर बल्बा कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने भा0दं0सं0 की धारा—147 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने एक राय होकर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बल्वा कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने भा0दं0सं0 की धारा—148 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा शिवपूजन तथा उसके साथी राधेश्याम को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने भा0दं0सं0 की धारा 323 सपठित धारा 149 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा व उसके साथी को भददी—भददी गालियां देकर लोक शांति को भंग करने के आशय से प्रकोपित किया। इस प्रकार आप लोगों ने भा0दं0सं0 की धारा 504 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा शिवपूजन तथा उसके साथी राधेश्याम के ऊपर ज्ञान व परिस्थितियों में लोहे की राड से प्रहार कर गंभीर उपहति कारित किया, जिसके परिणाम स्वरूप यदि उसकी मृत्यु हो जाती, तो आप हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध के दोषी होते। इस प्रकार आप लोगों ने भा0दं0सं0 की धारा—308 सपठित धारा 149 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

6. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी

मुकदमा के साथी राधेश्याम को लोहे की राड से सिर पर प्रहार कर, उसे गंभीर उपहति कारित कर, हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध का अपराध कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने भा.द.सं. की धारा 304 सपठित धारा 149 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

7. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा शिवपूजन तथा उसके साथी राधेश्याम को, जोकि अनुसूचित जाति के सदस्य है यह जानते हुए उन्हें लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर मारपीट कर, गाली गलौज देकर अपमानित किया। इस प्रकार आप लागों ने धारा 3(1)(द) अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

8. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा शिवपूजन तथा उसके साथी राधेश्याम को, जोकि अनुसूचित जाति के सदस्य है यह जानते हुए उन्हें जातिसूचक गाली गलौज देकर अपमानित किया। इस प्रकार आप लागों ने धारा 3(1)(ध) अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

9. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा शिवपूजन तथा उसके साथी राधेश्याम को अनुसूचित जाति का सदस्य जानते हुए, उन्हें लोहे की राड से मार पीटकर गंभीर उपहति कारित। इस प्रकार आप लोगों ने धारा 3(2)(Va) अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतएव आप अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि आपका विचारण उपरोक्त अपराध के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः—01.03.2023

(आर.एम त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,
अम्बेडकरनगर।

आरोप, अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इनकार किया तथा विचारण की मांग की।

दिनांकः—01.03.2023

(आर.एम त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,
अम्बेडकरनगर।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी. / एस.टी. ऐक्ट, अम्बेडकरनगर

UPAN010003572023

Sessions Case/74/2023

सरकार बनाम पंकज वर्मा आदि

अपराध सं0 367 / 2022
धाराः—147,148,149,323,504,308,304,
भा0द0सं0
व धारा 3(1)द,ध व 3(2)va अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम
थानाः—को0 अकबरपुर, अम्बेडकरनगर

आदेश

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्तगण पंकज वर्मा,उत्तम पटेल, विकास गौड़ व भद्दू वर्मा जेल से उपस्थित। विद्वान लोक अभियोजक ने अभियोजन कथानक एवं अभियुक्तगण शिवा कुमार राजभर, सत्यम राजभर एवं विवेक उर्फ मल्हरू राजभर के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्योंका वर्णन किया। आरोप विरचन के विन्दु अभियुक्तगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

उभयपक्ष को सुना। अभियुक्तगण पंकज वर्मा,उत्तम पटेल, विकास गौड़ व भद्दू वर्मा के विरूद्ध धारा—147,148,323 / 149,504,308 / 149,304 / 149,भा.द.सं. व तथा धारा 3(1)द,ध व 3(2)va अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का आरोप विरचित किये जाने का आधार पर्याप्त है। पत्रावली दिनाक— को साक्ष्य हेतु पेश हो। साक्षी जरिये सम्मन तलब हो।

दिनांकः—01.03.2023

(आर.एम त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, अम्बेडकरनगर।